अनु० अधि० (श्री प्रसाद)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या : 82/I(2)/2011-04(8)-103/2010
देहरादून: दिनांक: 21 जनवरी, 2011

अ० मु० रा० आ०
25.1.11

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ, अर्थात ग्राम इच्छौली, पटवारी क्षेत्र–देवाल, परगना–बधाण, जिला–चमोली में सतलुज जल विद्युत निगम लि0 को देवसारी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

2– चूंकि, राज्यपाल की यह राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, जैसा कि उक्त भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात ग्राम इच्छौली, पटवारी क्षेत्र–देवाल, परगना–बधाण, जिला–चमोली में सतलुज जल विद्युत निगम लि0 को देवसारी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है और इस अत्यावश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 क के अधीन जाँच करने में लगने वाले सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय। अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि उक्त अर्जन में उक्त अधिनियम की धारा 5 क के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	(खसरा न0, क्षेत्र (है0 में))			
चमोली	बधाण	इच्छौली				
(754, 0.049)	(759, 0.009)	(760, 0.006)	(761, 0.009)	(762, 0.023)	(763, 0.011)	(764, 0.038)
(765,0.015)	(766,0.018)	(767, 0.013)	(768, 0.028)	(769, 0.013)	(770, 0.018)	(771, 0.026)
(772, 0.014)	(773, 0.006)	(780, 0.011)	(781, 0.009)	(782, 0.006)	(783, 0.005)	(785, 0.024)
(786, 0.023)	(787, 0.023)	(789, 0.020)	(790, 0.033)			
सम्पूर्ण योग = 0.451 है0						

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :– जिला चमोली के परगना बधाण के ग्राम इच्छौली में सतलुज जल विद्युत निगम लि0 को देवसारी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कलेक्टर, चमोली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

D:\Ninah\Land Acquisition\UO\Land Acquisition of Village-Iccholi for construction of Devsari HEP (Sec -4).doc

संख्या : 82 /I(2)/2011-04(8)-103/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग–4 खण्ड–'ख' में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, चमोली तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. प्रबन्धक, सतलुज जल विद्युत निगम लि0, देवसारी जल विद्युत परियोजना, चमोली।
5. महाप्रबन्धक, सतलुज जल विद्युत निगम लि0, देवसारी जल विद्युत परियोजना, चमोली।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
7. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 82_/I(2)/2011-04(8)/103/10, Dated 21 January, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Energy Section-I
No- 82_/I(2)/2011-04(8)-103/2010
Dated: Dehradun: 21 January, 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. 1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely, for construction of Devsari Hydro Electric Project through SatLuj Jal Vidyut Nigam Ltd. in Village Iccholi, Patwari Shetra-Deval, Pargana-Badhan, District Chamoli.

2- WHEREAS, the Governor is of the opinion that the provisions of sub-section (4) of section 17 of the said Act are applicable to the said land in as much as the said land is urgently required for construction of Devsari Hydro Electric Project through SatLuj Jal Vidyut Nigam Ltd. in Village Iccholi, Patwari Shetra-Deval, Pargana-Badhan, District Chamoli that in view of the pressing urgency it is necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5 A of the said Act. Therefore, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5 A of the said Act shall not apply to the said land.

Schedule

District	Pargana	Village	Area (in Hec.) & Plot Nos.			
Chamoli	Badhan	Iccholi				
(754, 0.049)	(759, 0.009)	(760, 0.006)	(761, 0.009)	(762, 0.023)	(763, 0.011)	(764, 0.038)
(765,0.015)	(766,0.018)	(767, 0.013)	(768, 0.028)	(769, 0.013)	(770, 0.018)	(771, 0.026)
(772, 0.014)	(773, 0.006)	(780, 0.011)	(781, 0.009)	(782, 0.006)	(783, 0.005)	(785, 0.024)
(786, 0.023)	(787, 0.023)	(789, 0.020)	(790, 0.033)			
Total Area = 0.451 Hec.						

For what purpose required :- for construction of Devsari Hydro Electric Project through SatLuj Jal Vidyut Nigam Ltd. in Village Iccholi, Pargana Badhan, District Chamoli.

Note:- A site plan of land may be inspected by the interested person in the Office of the Collector, Chamoli.

(Dr. Umakant Panwar)
Secretary